**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**मत्स्यपालन विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1191**
**11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए**

**मछुआरा समुदायों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव**

**+1191. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाक खाड़ी में मछली पकड़ने पर रोक होने के कारण तमिलनाडु और पुदुक्कोट्टई जिलों में मछली पकड़ने वाले समुदायों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आकलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में मछुआरों के लिए कोई वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें जलीय कृषि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना या समुद्री शैवाल की खेती शामिल है और यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का ब्यौरा और इनकी स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने श्रीलंका के जल क्षेत्र से दूर रहते हुए मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से नौवहन करने में मछुआरों की सहायता के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप और वास्तविक समय मौसम और सीमा पर चेतावनी जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान पेश करने के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पाल्क खाड़ी में पुदुक्कोट्टई जिले सहित तमिलनाडु के मछुआरा समुदायों की मत्स्यन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसके अलावा, मत्स्यपालन और मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पारंपरिक मछुआरों, उनकी सोसायटियों, संघों, स्व सहायता समूहों (एसएचजी) और मछुआरा उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को गहरे समुद्र में फिशिंग के लिए डीप सी फिशिंग वेसेल्स उपलब्ध कराने के लिए 'नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन' योजना के अंतर्गत 'एस्सिटेन्स फॉर डीप सी फिशिंग' पर एक उप घटक शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत, पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग वेसेल्स की खरीद और तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के कुंथकल में एक फिश लैंडिंग सेंटर के निर्माण के लिए 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को सलाह दी थी कि वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करते समय पाल्क खाड़ी के 4 जिलों (अर्थात् नागापट्टिनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम) के मछुआरों को प्राथमिकता दे। इस योजना के अंतर्गत 71 बोट्स का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। 15 बोट्स का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अब तक लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 41.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रही है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत चार वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार को तमिलनाडु राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए 448.65 करोड़ रुपए की केंद्रीय अंश के साथ 1156.15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु को दी गई प्रशासनिक मंजूरी में तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क (मल्टीपरपस सीवीड पार्क) की स्थापना के लिए 127.71 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत समुद्री शैवाल की खेती के लिए तमिलनाडु के छह तटीय जिलों (नागापट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम और थूथुकुडी) में कुल 136 तटीय गांवों की पहचान की गई है। हब I और हब II सुविधाओं की स्थापना के लिए रामनाथपुरम और पुदुकोट्टई जिलों को नामित किया गया है। वर्तमान में, हब I और स्पोक सुविधाओं में 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं। पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत, 86.98 लाख रुपए की लागत से 1812 मोनोलाइन, समुद्री शैवाल की खेती के लिए 73.28 लाख रुपए की लागत से 8140 राफ्ट वितरित किए गए हैं और 2020-21 से 2023-24 के दौरान पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम जिले में ओपन सी केज कल्चर के लिए तटीय मछुआरों को 28.38 लाख रुपए की लागत से 43 केज वितरित किए गए हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 50 डीप सी फिशिंग वेसेल्स की खरीद को भी मंजूरी दे दी है।

(घ): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा फिशिंग वेसेल्स के लिए टू-वे कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम की सुविधा वाले वेस्सल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (वीसीएसएस) (ट्रांसपोंडर) विकसित की गई है, ताकि फिशिंग वेसेल्स की निगरानी करने और फिशिंग के दौरान समुद्र में संकट के समय सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने समुद्र में मत्स्यन के समय मछुआरों की सेफ़्टी और सेक्यूरिटी बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत तमिलनाडु के मैकेनाइज़्ड फिशिंग वेसेल्स पर 4997 ट्रांसपोंडर लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार को 18.01 करोड़ रुपए की राशि मंजूर और जारी की है। वेस्सल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (वीसीएसएस) मछुआरों को मत्स्यन क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने और समुद्री सीमा को अनजाने में पार करने से बचने में सहायता करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, नाभमित्रा नामक मोबाइल ऐप और वास्तविक समय के मौसम और समुद्री सीमा अलर्ट सहित प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करता है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), लाइफ-जैकेट, लाइफबॉय, अन्य जीवन रक्षक उपकरण, एक रडार रिफ्लेक्टर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फ्लेयर्स का एक सेट, बैकअप बैटरी, खोज और बचाव बीकन आदि जैसे सुरक्षा किटों के प्रावधान के लिए समुद्र में फिशिंग के लिए जाने वाले मछुआरों के लिए धनराशि निर्धारित की है। मछुआरों और फिशिंग वेसेल्स की सुरक्षा के लिए संचार और/या ट्रैकिंग डिवाइस जैसे ट्रांसमीटर (डीएटी)/ओटोमेटिक आईडेनटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस)/नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन(एनएवीआईसी)/ट्रांसपोंडर आदि के लिए भी पीएमएमएसवाई के अंतर्गत धनराशि निर्धारित की गई है।

*****